न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 07/2011 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2011/00013

अनवान

1. श्री रूपा पिता वक्ता मीणा के बजायः–
   1/1 श्रीमती बदी पत्नि स्व. श्री रूपा मीणा, निवासी कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
   1/2 श्री गणेश पिता स्व. श्री रूपा मीणा, निवासी कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
   1/3 श्री हरिश पिता स्व. श्री रूपा मीणा, निवासी कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
   1/4 श्री ईश्वर पिता स्व. श्री रूपा मीणा, निवासी कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता लालजी पटेल, निवासी कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. श्री हकरा पिता कोदर पटेल, निवासी कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
3. श्री नारायण पिता कचरा पटेल, निवासी कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
4. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री गजेन्द्र नाहर, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 26-07-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि जो कि गांव कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 1029 रकबा 10 बीघा आवंटित की गई थी, जिसके साबिक आराजी संख्या 3659/1029

जिनकी हाल सेटलमेंट नम्बर 4444, 4445 एवं 4446 स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के अन्तर्गत दिनांक 23.4.1976 को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन शुल्क रूपया 1650रू. अक्षरे रूपया सोलह सौ पचास रूपया जमा करा दिये। इस प्रकार प्रार्थी एवं उसका परिवार उक्त कृषि भूमि पर लगातार खुदकाश्त कर मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त जमीन के संबंध मे प्रार्थी जो कि गांव का अनपढ व्यक्ति हो उसकी अज्ञानता का फायदा उठा उसकी ओर से पटवारी व अन्य लोगो ने मिलीभगत कर फर्जी हस्ताक्षर कर एक आवेदन इस आशय का दिया कि प्रार्थी को उक्त जमीन की आवश्यकता नहीं हैं। इस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर न्यायालय मे एक प्रकरण 21/2001 मे प्रार्थी की जमीन का आवंटन निरस्त कर भूमि को बिलानाम दर्ज करने के आदेश दिये, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होते ही प्रार्थी द्वारा अविलम्ब न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर मे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 25.11.1991 को निरस्त किया। प्रार्थी उक्त आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के समय से ही काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 14.05.2011 को विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अचानक प्रार्थी के कृषि भूमि पर कब्जे का प्रयास किया जो ज्ञात हुआ की विपक्षीगण ने मिलीभगत कर आराजी संख्या 4445 एवं 4446 अपने आप को राजस्व रेकर्ड मे वर्ष 1991 से गैर खातेदारी मे काबिज चले आ रहे हैं एवं उक्त गैर खातेदारी के कारण दिनांक 16.11.2010 को गैर खातेदारी से खातेदारी कराई हैं। मौके पर प्रार्थी के नाम के लाईट कनेक्शन लगे हुए है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को गांव कोजवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर मे आवंटित की गई आराजी संख्या 4445 एवं 4446 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण मे विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल द्वारा वकालातपत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी रूपा पिता वक्ता मीणा का यह कथन गलत है कि उसके नाम से मौजा कोजावाड़ा मे आराजी संख्या 1029 रकबा 10 बीघा आवंटित हुई हो, जिसके साबिक आराजी संख्या 3656/1029 हो एवं यह कथन भी गलत है कि साबिक आराजी संख्या 3656/1029 के हाल नम्बर 4444, 4445 एवं 4446 बने हो। विवादित आराजीयात पर आवंटन की दिनांक से विपक्षीगण का ही कब्जा चला आ रहा हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 21/2001 से निरस्त किया गया आवंटन रूपा पिता काला मीणा के नाम से था तथा रूपा पिता काला मीणा का उक्त आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा न होने से अतिरिक्त जिला कलक्टरख उदयपुर द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर सही निरस्त किया गया हैं। आज दिनांक को भी उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हैं। उक्त भूमि विपक्षीगण को 27.12.1990 को आवंटित की गई एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त विपक्षीगण ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया, चारो ओर

पत्थर की कोट बनाई एवं भूमि को समतल कराया हैं। विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कब्जा 1990 से चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजीयात विपक्षीगण द्वारा काफी लागत लगाकर आबादान योग्य बनाई है, तत्पश्चात् दिनांक 16.11.2010 को खातेदारी अधिकारी भी विपक्षीगण को प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षीगण को भूमि आवंटन हुए करीब 22 वर्ष हो चुके है। विपक्षीगण को भूमि आवंटन होने के पश्चात् पटवारी हल्का खेरवाड़ा की रिपोर्ट पर तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा आवंटन निरस्ती का एक प्रार्थना पत्र पूर्व मे ही न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के यहा पेश किया, जिसका प्रकरण संख्या 48/1997 होकर उक्त प्रकरण मे विपक्षीगण के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद एवं झुठे होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.1999 को आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र पूर्व मे निरस्त किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति मे जब पूर्व मे ही विपक्षीगण के विरूद्ध आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है तथा उक्त आदेश दिनांक 01.11.1999 की अपील/निगरानी किसी भी न्यायालय मे नही की गई है तथा विपक्षीगण के पक्ष मे उक्त आवंटन यथावत है। ऐसी स्थिति मे दुबारा आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र नहीं लाया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा प्रकरण मे मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2013 मे स्पष्ट किया कि मौजा कोजवाड़ा की आराजी संख्या 4444 रकबा 0.50हे. भूमि श्री रूपा पिता वक्ता, बदी पत्नि रूपा मीणा के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। मौके पर आराजी संख्या 4444 रकबा 0.50हे. भूमि पर एक ट्युबवेल खुदा हो बाकी भूमि मे सागवान व अन्य किस्म के वृक्ष है। मौके पर कब्जा श्री रूपा पिता वक्ता मीणा का है। आराजी संख्या 4445 रकबा 0.95 हे. भूमि श्री हकरा पिता कोदरा, नारायण पिता कचरा पटेल, निवासी कोजावाड़ा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हो, मौके पर काश्त नहीं हो रही है। भूमि बीड़नुमा होकर मौके पर सागवान व अन्य किस्म के वृक्ष लगे है। मौके पर श्री रूपा पिता वक्ता मीणा द्वारा आराजी संख्या 4445 मे थुर की बाड़ लगाकर अपना कब्जा बताया गया हैं। आराजी संख्या 4446 रकबा 1.20हे. भूमि श्री देवीलाल पिता लालजी पटेल निवास सुवेरी के नाम खाते होकर मौके पर मौतबिरान की आराजी संख्या 4446 रकबा 1.20हे. का कोई विवाद नहीं है। आरजाी संख्या 4446 रकबा 1.20हे. भूमि पर कब्जा श्री देवीलाल पिता लालजी पटेल का ही है, इसमे रूपा पिता वक्ता को कोई उजर ऐजराज नहीं है। आराजी संख्या 4445 रकबा 0.95 हे. भूमि का मौके पर विवाद है। थूर की बाड़ आदि प्रार्थी श्री रूपा पिता वक्ता मीणा द्वारा लगायी गई, किन्तु राजस्व रेकर्ड मे खाता पटेलान का हैं। उक्त रिपोर्ट पर विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट एकतरफा होना व अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे बनाये जाने से आपत्ति व्यक्त की गई एवं पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत अनुरोध किया गया। पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत् तहसीलदार को लिखा जाने पर तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 80 दिनांक 17.02.2017 के द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि मौका निरीक्षण करने बाबत् उभय पक्षकारान को सूचित किया गया, लेकिन प्रमुख पक्षकार का स्वर्गवास हो जाने से उनके वासिान द्वारा सूचना तामिल नहीं ली एवं मौका निरीक्षण बाबत् दी गई तिथि को विपक्षीगण उपस्थित हुए लेकिन रूपा की पत्नि बदी द्वारा उनके

पुत्र बाहर होने से उनकी वापसी पर मौका निरीक्षण कराये जाने हेतु कहा जाने से मौका निरीक्षण नही हो सका, ऐसी स्थिति मे तहसीलदार द्वारा उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार द्वारा दो बार मौका देखने से पुनः न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित नहीं समझा गया। ऐसी स्थिति मे उक्त दोनो ही रिपोर्ट को रेकर्ड मे रखा जाकर उपखण्ड अधिकारी से आवंटन पत्रावली मंगवाई जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस के दौरान उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को गांव कोजावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 1029 रकबा 10 बीघा आवंटित की गई थी, जिसके साबिक आराजी संख्या 3659/1029 हो हाल सेटलमेंट नम्बर 4444, 4445 एवं 4446 स्थित हैं। उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन शुल्क रूपया 1650रू. अक्षरे रूपया सोलह सौ पचास रूपया जमा करा दिये। उक्त जमीन के संबंध मे प्रार्थी जो कि गांव का अनपढ व्यक्ति हो उसकी अज्ञानता का फायदा उठा फर्जी हस्ताक्षर कर एक आवेदन इस आशय का दिया कि प्रार्थी को उक्त जमीन की आवश्यकता नहीं हैं। इस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण 21/2001 मे प्रार्थी की जमीन का आवंटन निरस्त कर भूमि को बिलानाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस पर प्रार्थी द्वारा अविलम्ब न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर मे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 25.11.1991 को निरस्त किया। विपक्षीगण ने मिलीभगत कर आराजी संख्या 4445 एवं 4446 अपने आप को राजस्व रेकर्ड मे वर्ष 1991 से गैर खातेदारी मे काबिज चले आ रहे हैं एवं उक्त गैर खातेदारी के कारण दिनांक 16.11.2010 को गैर खातेदारी से खातेदारी कराई हैं। मौके पर प्रार्थी के नाम के लाईट कनेक्शन लगे हुए है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को गांव कोजवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर मे आवंटित की गई आराजी संख्या 4445 एवं 4446 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण मे विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 4445 व 4446 के आवंटन निरस्ती बाबत मांग की है। आराजी संख्या 4445 रकबा 0.9500हे. भूमि विपक्षी संख्या 2 व 3 के सुयंक्त रूप से भूमिहीन काश्तकार होने से नियमानुसार आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 27.12.1990 को भूमि आवंटित की गई एवं मौके पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया। वर्ष 2010 मे गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं एवं आवंटन की दिनांक से आज दिन तक करीब 28 वर्ष से आवंटियों का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आवंटन को निरस्त करने बाबत् तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा द्वारा पूर्व मे प्रकरण संख्या 48/1997 प्रस्तुत किया गया, जिसे निर्णय दिनांक 01.11.1999 द्वारा तहसीलदार खेरवाड़ा के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया, जिसे किसी अपीलीय न्यायालय मे चैलेन्ज नहीं करने से माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 01.11.1999 आज भी

स्टेण्ड़ हैं। राजस्व ग्राम कोजावाड़ा की आराजी संख्या 4446 रकबा 1.2000हे. विपक्षी संख्या 1 श्री देवीलाल पिता लाला पटेल को दिनांक 27.12.1990 को आवंटित की गई उक्त भूमि पर आज दिनांक तक विपक्षी का ही कब्जा होने से वर्ष 2010 मे विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.06.2013 मे आराजी संख्या 4446 पर प्रार्थी को आवंटन एवं कब्जा बाबत् कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थीगण रूपा पिता वक्ता मीणा एवं बदी पत्नि वक्ता मीणा भूमिहीन काश्तकार नही होने के बावजूद प्रार्थी रूपा ने राजव कर्मचारियो से मिलीभगत कर आराजी संख्या 4435, 4436, 4437, 4438, 4439 कुल किता 5 रकबा 0.9200हे. भूमि का आवंटन दिनांक 01.03.2004 को कराया। तत्पश्चात् आराजी संख्या 4430 रकबा 0.0200हे., 4440 रकबा 0.6300हे., 6015/4429 रकबा 0.1000हे., 6018/4444 रकबा 0.5000हे. कुल किता 5 रकबा 1.25000हे. इस प्रकार प्रार्थी ने दो आवंटन तथ्यों को छुपाते हुए अपने नाम पर करवा लिये हैं। प्रार्थी ने आरजी संख्या 1029 रकबा 10 बीघा के साबिक आराजी संख्या 3656/1029 है, उक्त आवंटन रूपा पिता काला मीणा के नाम पर किया गया था, लेकिन मौके पर कब्जा न होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 21/1991 मे निर्णय दिनांक 25.11.1991 को उक्त आवंटन निरस्त कर दिया व उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दे दिये, जिसका प्रार्थी हमनाम का दुरूपयोग करते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुरके यहां उक्त आदेश की अपील की, जहां अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड़ करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर को सुनवाई करते हुए नये से निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। इस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से पूर्व मे दिये गये आदेश को सही मानते हुए आवन्टन निरस्त कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर विपक्षीगण को किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं उपखंड अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली, तहसीलदार ऋषभदेव की रिपोर्ट मे वर्णित बिंदुओ एवं तथ्यो का गंभीरता से अध्ययन किया एवं जमाबंदी की नकल का अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी/अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण मौजा कोजावाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 4444, 4445 एवं 4446 से संबंधित हैं। उक्त आराजीयात मे से आराजी संख्या 4444 के संबंध मे कोई राहत अपीलान्ट द्वारा नही चाही गई हैं। प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा मोजा कोजावाड़ा की आराजी संख्या 4445 एवं 4446 पर विपक्षीगण को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया हैं। आराजी संख्या 4446 रकबा 1.20हे. भूमि तहसीलदार ऋषभदेव की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी संख्या 1 श्री देवीलाल पिता लालजी पटेल निवासी सुवेरी के नाम खाते होकर मौके पर मौतबिरान की आराजी संख्या 4446 रकबा 1.20हे. का कोई विवाद नहीं है। आराजी संख्या 4446 रकबा 1.20हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी संख्या 1 श्री देवीलाल पिता लालजी पटेल के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजीयात पर कब्जा विपक्षी संख्या 1 श्री देवीलाल पिता लालजी पटेल का ही है, इसमे अपीलान्ट/प्रार्थी श्री रूपा पिता वक्ता को कोई उजर ऐतराज नहीं है। इसकी पुष्टि मे

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर भी उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर मौजुद है। ऐसी स्थिति मे उक्त दोनो आराजीयात के संबंध मे विवेचन करना हम उचित नहीं समझते है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी संख्या 4446 रकबा 1.20हे. भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री देवीलाल पिता लालजी पटेल को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से आराजी संख्या 4446 रकबा 1.20हे. के संबंध मे 14(4) की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती हैं।

प्रकरण मे विवाद आराजी संख्या 4445 रकबा 0.95हे. का है। तहसीलदार ऋषभदेव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 4445 रकबा 0.95 हे. भूमि विपक्षी संख्या 2 श्री हकरा पिता कोदरा एवं विपक्षी संख्या 3 श्री नारायण पिता कचरा पटेल, निवासी कोजावाड़ा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हो, मौके पर काश्त नहीं हो रही है। भूमि बीड़नुमा होकर मौके पर सागवान व अन्य किस्म के वृक्ष लगे है। मौके पर अपीलान्ट/प्रार्थी श्री रूपा पिता वक्ता मीणा द्वारा आराजी संख्या 4445 मे थुर की बाड़ लगाकर अपना कब्जा बताया गया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आराजी संख्या 4445 रकबा 0.95हे. भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 2 श्री हकरा पिता कोदरा एवं विपक्षी संख्या 3 श्री नारायण पिता कचरा पटेल को हो जाने से आवंटन शर्तो की पालना न करने का उल्लेख करते हुए तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर द्वारा आवंटन निरस्ती का प्रकरण संख्या 48/1997 जिला कलक्टर, उदयपुर न्यायालय मे दर्ज कराया गया। न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 48/1997 मे पारित निर्णय दिनांक 01.11.1999 को तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा दायर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 खारिज किया एवं उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील हुई हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर न तो उपलब्ध नहीं हैं एवं न ही अपीलान्ट/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया हैं। उक्त आराजी संख्या 4445 रकबा 0.95हे. भूमि के आवंटन को निरस्त करने बाबत् पूर्व मे ही प्रकरण निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति मे दुबारा उसी आवंटन को निरस्त करने की चुनौती देना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा आराजी संख्या 4445, 4446 पर विपक्षी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर